(193) (300)

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म०प्र०) श्रृंखला न्यायालय रीवा (म०प्र०)

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs. 20/-

निगरानी 2316-II-15

निगरानी प्रकरण क्रमांक ---------/2012-13

अम्बिका प्रसाद तनय अयोध्या राम ब्रा० निवासी ग्राम बरसैनी तहसील मझौली, जिला सीधी म०प्र० -------- निगरानीकर्ता

बनाम,

मध्यप्रदेश शासन --------अनावेदक

श्री सुरेन्द्र पाण्डेय एड० के द्वारा आज दिनांक 19.06.15 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 58/10 रजिस्टर्ड ... आज दिनांक ... को प्राप्त क्लर्क ... कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला सीधी म०प्र० प्रकरण क्रमांक 336/निग०/02-03 में पारित आदेश दिनांक 23, अगस्त 2010,

निगरानी अन्तरगत धारा 50 म०प्र०भू रा०सं०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित है :---

1/ यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि, प्रक्रिया तथा एवं सहज न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2/ यह कि पुनरीक्षणकर्ता एक भूमिहीन कृषक है तथा वह ग्राम बरसैनी तहसील मझौली जिला सीधी में विगत 50 साल से स्थाई रूप से निवास करते हुये भूमिखसरा क्रमांक-323 एवं 331 के अंश भाग कुल रकबा 1.573 हे० पर भूमि का सुधार कर कृषि योग्य उपजाऊ भूमि बनाकर काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि पर निगरानी कर्ता का आवासीय मकान भी बना है तथा भूमिहीन कृषक होने के कारण ही उक्त भूमियों का व्यवस्थापन विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के अधीन नायब तहसीलदार मझौली द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में स्वीकार किया गया था किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर न कर निगरानीकर्ता को ग्राम

अम्बिका प्रसाद

XXXIX(a)-BR(H)-11

(193)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2316-II / 15 जिला–सीधी

अम्बिका प्रसाद ब्रा0 / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 0336 / निग0 / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	